



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934

No. 69]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 76(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अनुपालन में, केन्द्रीय सरकार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या को एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें दिनांक 1-4-2013 से 31-3-2015 तक की अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कॉलम (2) में दिए गए हितों का प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए नियुक्त किया जाना है :

तालिका

क्रम सं.	प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2.	समुद्री वाणिज्य विभाग	1
3.	सीमा-शुल्क विभाग	1
4.	महाराष्ट्र की राज्य सरकार	1
5.	पोत परिवहन मंत्रालय	1
6.	रक्षा सेवाएं (नौसेना)	1
7.	रक्षा सेवाएं (तटरक्षक)	1
8.	भारतीय रेल	1
9.	महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	4
10.	महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित अर्थात् पोत स्वामी, शिपर्स आदि	4
कुल		17

[फा. सं. एलबी-11013/19/2012-एल]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2013

G.S.R. 76(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust w.e.f. 1-4-2013 to 31-3-2015.

TABLE

Sl. No	Interests to be represented	Number of Persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Mercantile Marine Department	1
3.	Department of Customs	1
4.	State Government of Maharashtra	1
5.	Ministry of Shipping	1
6.	Defence Services (Navy)	1
7.	Defence Services (Coast Guard)	
8.	Indian Railways	1
9.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963	4
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963, viz. Ship owners, Shippers etc.	4
Total		17

[F.No. LB-11013/19/2012-L]
N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.